DRAFT

आयुध निर्माणी देहूरोड
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय
पुणे, महाराष्ट्र – 412 101

Munitions India Limited

Ordnance Factory Dehu Road
Unit of Munitions India Ltd.
Govt. of India Enterprises
Ministry of Defence
Pune, Maharashtra – 412 101

दूरभाष संख्या / Phone No. : 020-27167246, 7546
ई-मेल / e-mail : ofdrestt@ord.gov.in

No. 1914/02/OFDR/Tenure Based/Project Engineer / 2026 Date: 02/09/2026

ENGAGEMENT OF GRADUATE / DIPLOMA PROJECT ENGINEER ON TENURE BASIS

Offline applications are invited from the citizens of India fulfilling the requisite qualification/criteria against the vacancies of Tenure Based Graduate & Diploma Project Engineer in various trades on CONTRACT BASIS, to work in Ordnance Factory, Dehuroad, Pune Maharashtra, initially for a period of ONE Year which may be extended another period of Three Years i.e. total maximum period of Four years with renewal on yearly basis from the date of engagement (including initial period) based on factory requirement and individual's performance.

Note: Application received through any other mode except offline mode will not be entertained.

(2) Details of Name of Posts, Basic Pay & Vacancies are as follows:

Name of the Post	Discipline	Basic Pay	**UR**	**OBC**	**SC**	**ST**	**EWS**	Level
Graduate/ Diploma Project Engineer on Tenure Basis	Chemical	1st Year Rs. 36000/- 2nd Year Rs. 37080/- 3rd Year Rs. 38192/- 4th Year Rs. 39338/-	02	04	01	01	01	Supervisory Level
	Mechanical		00	00	00	01	00	

Note: Vacancies may increase or decrease depending upon requirement of Ordnance Factory Dehu Road, Pune.

Order of Preference for Merit List Preparation:

Sl No	Education qualification	Apprenticeship	Remark
01.	Graduate (B.E./B.Tech.) or Diploma in Chemical/Mechanical engineering.	Apprenticeship in the manufacturing / handling of ammunition and explosives.	• 1st preference and hence 1st merit list will be prepared for Graduate (B.E./B.Tech.) Chemical/Mechanical Engineering. • 2nd preference (merit list) will be given for Diploma Chemical/Mechanical Engineering.
02.	B.Sc. Graduate with Chemistry as one of the major subjects	Apprenticeship in the manufacturing/handling of ammunition and explosives.	• 3rd preference (merit list)
03.	Graduate (B.E./B.Tech.) or Diploma in Chemical engineering.	Apprenticeship in Chemical other than manufacturing/handling of ammunition and explosive.	• 4th preference (merit list) for Graduate (B.E. / B.Tech.) Chemical Engineering • 5th preference (merit list) for Diploma in Chemical Engineering.

Note: In cases where selected candidates do not possess apprenticeship in ammunition and explosives, they shall be deployed on work only after undergoing necessary safety and technical scrutiny training imparted by Ordnance Factory Dehuroad.

Contd. on pg 2...

SUPERVISORY LEVEL		
A)	**Essential Qualification**	
	i)	a) For Chemical Trade : B.E /B.Tech or Diploma in Chemical Trade or B.Sc. Graduate with Chemistry as one of the major subjects. b) For Mechanical Trade: B.E /B.Tech or Diploma in Mechanical Trade.
	ii)	Ex-Graduate apprentice who have undergone minimum one year training as per Apprenticeship Act 1961 in Chemical / Mechanical trade of Ordnance Factories under MIL or Factories manufacturing Military Ammunitions and Explosive.
B)		**Criteria for Engagement:** Persons who have completed one year Apprenticeship in Ordnance Factories under MIL or factories manufacturing ammunitions and explosives possess skill, Apprenticeship in Chemical or other than manufacturing/handling of ammunition and explosive and hazardous chemicals.
	i)	Engagement o Tenure based personnel shall be on contract basis initially for a period of **One year which may be extended for another period of Three years i.e. total maximum period of Four years** with renewal on **Yearly** basis from the date of engagement (including initial period) BASED ON FACTORY requirement and individual performance. The tenure will come to an end automatically on completion of four years period from the date of joining, without any further notice. The employment can be terminated, at any time, during the period of tenure engagement, by giving one month's notice by **either side or payment of Basic Pay + IDA Component in lieu of the Notice.**
	ii)	There will not be any commitment to the candidate either for absorption as permanent employee or for extension of term.
C)	**Process of Engagement:**	
	i)	Selection of the candidates shall be done based on the Marks scored in B.E./B.Tech or Diploma or B.Sc. Graduate with Chemistry as one of the major subjects and personal Interaction/ Interview only, in the order of Merit.
	ii)	Cut off percentage for calling candidates may be decided by the Ordnance Factory, Dehu Road, Pune for personal interaction/ interview, based on Marks secured in the qualifying examination i.e. B.E./B.Tech or Diploma or B.Sc. Graduate with Chemistry as one of the major subjects prescribed for a particular Trade/Discipline to ensure sufficient competition.
	iii)	Merit list will be prepared based on combine marks secured in Degree/Diploma/Bsc and personal Interaction/Interview.
	iv)	Weightage of Marks in B.E./B.Tech / Diploma/B.Sc. Graduate with Chemistry as one of the major subjects and Personal Interaction/ Interview will be 85% and 15% respectively.
	v)	Candidates scoring marks more than cut-off marks in B.E./B.Tech or Diploma or B.Sc. Graduate with Chemistry as one of the major subjects and Personal Interaction/Interview will be called for Document Verification in the order of Merit. The number of candidates called for Document Verification will be limited to the number of posts notified (Discipline/Category wise).
	vi)	In case of rejection of candidates during the Document Verification process on account of non-availability of requisite documents/testimonials, not meeting the advertised criteria with respect to Age, Qualification, Experience, etc. next candidates will be called for Document Verification in the order of merit (Discipline/Category wise). The number of next candidates called for Document Verification will be limited to the number of candidates rejected.
	vii)	The procedure as above will continue till such time the number of candidates qualifying in the Document Verification Process is equal to the number of post advertised.
	viii)	Candidates qualifying in the Document Verification stage as above will be issued Offers of Engagement.

Contd. on pg 3...

(3) Age Limit: The maximum age limit applicable to General Category candidates is 30 years. The same will be reckoned as on last date of receipt of application (i.e 21 st Day of publication of Advertisement in Employment News).Age relaxation as admissible will be given to SC/ST /OBC-NCL candidates is as under:

Sr. No	Category	Age relaxation
(i)	For SC/ST	05 Years (Only in respect of post reserved for SC/ST)
(ii)	For OBC(NCL)	03 years (only in respect of the post reserved for OBC- (NCL).

(4) Application Fees: -NIL

(5) How to Apply: The envelopes must be clearly superscripted as **"(APPLICATION FOR THE POST OF GRADUATE / DIPLOMA / PROJECT ENGINEER ON TENURE BASIS – OFDR-2026)".**

Application along with other necessary documents & 03 (**three**) extra photograph (name and date of Birth should be written on the back side of photograph) are to be forwarded by post to **"The Chief General Manager, Ordnance Factory Dehu Road, Pune, Dist.: Pune (Maharashtra), Pin –412101.**

(6) Closing Date for Receipt of Application:-

i. Closing date for receiving of application will be **21 days** from the date of first appearance of the Advertisement in the Employment News.

ii. If the closing date falls on a Holiday for the Factory, then the next working day shall be considered as the closing date for all purposes.

(7) General/ Conditions & other information to the candidates:

i. The self attested copies of educational qualifications, certificate for age proof, experience certificate from institutions etc., should be enclosed along with the application.

ii. The OBC candidate applying for the post under OBC category should also have to submit duly signed undertaking in the format given at Appendix-I of the application form.

iii. Valid OBC-NCL/EWS certificate, as per extant rules, as on closing date of application is required at the time of Document Verification.

iv. Submission of false / incorrect/ incomplete information and / or dubious / bogus documents shall disqualify the candidature.

v. Submission of more than one application by the same individual for a post will summarily be rejected.

vi. SC/ST candidates shall be paid second class TA as admissible under the rules in the shortest route of travel, on production of Bus / Train ticket and Caste/ Community Certificate. It is mandatory to submit "Bank Details Form" for reimbursement of TA Claim.

vii. No correspondence/ enquiry through Phone/ messenger will be entertained. Canvassing in any form will lead to disqualification.

viii. Mere submission of application form does not guarantee issue of "Call Letter" for Interview.

ix. Candidates appearing for Document Verification will have to travel on their own expenses and required to stay one day more for medical examination.

x. Ordnance Factory Dehu Road, Pune will not be responsible for late/non- receipt of filled-in application/ Call letters, etc., due to postal delay or any other reasons.

xi. Only short-listed candidates will be informed through post/e-mail for an Interview in due course.

xii. E-mail ID & Phone/Mobile Numbers should be kept active till the completion of whole recruitment process.

xiii The admission to all the stages of the selection procedure will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.

xiv. Mere issue of Call Letter/Admit Card to the candidate for the Test/Interview will not imply that his/her candidature has been finally accepted by Ordnance Factory Dehu Road, Pune.

xv. Verification of eligibility conditions with reference to original documents will be done at the time of document verification in the Ordnance Factory Dehu Road, Pune.

xvi. Any dispute with regard to the said engagement against this advertisement will be subject to courts situated in **Pune** only.

Contd. on pg 4...

xvii. The Competent Authority reserves the right to adopt any alternative lawful mode of selection in part or in whole, in case of contingency.

xviii. The citizen of India who are fulfilling the requisite qualification as mentioned in the advertisement can apply for the post.

xix. In case of contradiction between Hindi and English language of this advertisement, advertisement in English language will prevail.

(8) Criteria for Engagement: -

i. Engagement shall be for a period ranging from one to four years as mentioned above in Para (1). The tenure will come to an end automatically on completion of four years period from the date of joining, without any further notice. The employment can be terminated, at any time, during the period of tenure engagement, by giving one month's notice by either party or payment of the Basic Pay + IDA component in lieu of the Notice. There will not be any commitment to the candidate either for absorption as permanent employee or extension of term.

ii. Such Personnel would generally be engaged to undertake specific jobs/projects/programmes/tasks in Core Technical areas like Design, Manufacturing/Maintenance/Quality Control, Production Engineering (Production Shops: Production of Military Ammunitions & explosives which involves manufacturing & handling of explosives and hazardous chemicals) Management Services, etc. However, if requirement arises in any other area which cannot be met by other means, personnel can be engaged in such areas also.

(9) Remuneration:

i. Tenure Based Personnel to be paid at the rate of 1/30th of the pay at the basic pay plus dearness allowance for work of 8 hours a day.

ii. IDA as prevalent will be applicable.

iii. House Rent Allowance as per classification of cities (When Company Quarter is not Available)
Note: In case of availability of Company Quarters, priority will be given for allotment of quarters.

iv. The performance of the individual on fixed term employment will be evaluated. Individuals having performance rating poor or below will be given One month's time in writing to improve their performance. After one month's again performance will be evaluated and if again the performance rating found poor or below, the services of the individual will be terminated by given 15 days notice.

v. Personnel engaged will be eligible for EPF and employee Compensation act as per government guidelines.

vi. Personnel engaged on fixed term basis are eligible to bonus (If applicable) as per Bonus Act 1965 amended time to time.

(10) Other Benefits and Terms & Conditions:

i. Personnel engaged will be entitled of 30 days Leave per year. 2.5 days of Leave will be credited, for every calendar month of service. Leave can be accumulated by the Personnel during their tenure up to 30 days and can be enchased after completion of one year. For the last month of Service prior to separation/ completion of Tenure, the Leave of 2.5 days pertaining to the last month of service will be credited on the 15th day of that month.
Note: Encashment of Leave in respect of Tenure based Personnel will be governed by the Rules and Terms & Conditions applicable to the regular employee as notified from time to time.

ii. Personnel Engaged cannot take more than 3 days leave in a month and cannot take continuously 3 days leave in a stretch except on medical ground.

iii. These personnel will not be entitled for any other medical benefits in any of the Ordnance Factory Hospitals & Dispensaries or elsewhere. In case of an emergency, facilities in Ordnance Factory Hospitals/Dispensaries can be availed.

iv. They will be entitled for safety and protective gears, equipment, kits etc. as per the Company norms.

v. Female Personnel will be entitled to Maternity Benefits as per the provisions under the Maternity Benefit Act, 1961.

vi. In the normal course, the engagement will be for a **maximum period of four years** from the date of engagement and the tenure will come to an end automatically on completion of four years period from the date of joining, without any further notice.

vii. The Tenure Based Engagement will not confer any right on the Personnel to claim the status of a regular employee of the Company.

Contd. on pg 5...

ix. Such Personnel will be covered under the Income tax, Service Tax, Professional Tax, etc. as per the applicable Rules and such Taxes would be payable by them at their hands.

x. They will be eligible for Company Quarters/Accommodation, wherever available. License fee for Quarters will be deducted at the rates as applicable to regular employee.

xi. **They will not be entitled for the following:**

a) Promotions;
b) OT Allowance
c) Loans, Advances & Interest Subsidies
d) Medical Facilities
e) Contingency Advance
f) School Fee Reimbursement
g) LTC/LTA Facilities
h) Grant of study Leave
i) Sponsorship for Higher Studies
j) Any other benefits admissible to regular Employee not mentioned specially in the advertisement.

xii. The Tenure based Personnel will not be entitled for any Allowances or Benefits other than those indicated in this Scheme.

xiii. The performance of the personnel would be assessed on a six-monthly basis.

xiv. The engagement will be on full time basis. **Absence from duty other than on authorized Leave/Company Holidays will result in proportionate reduction in the Consolidated Emoluments.**

xv. For quitting the job, candidate should give notice one month prior in advance, falling which one month salary will be deducted. Suitable risk Clauses and NDA will be added in the offer of engagement, in detail, to safeguard the interest of the company in case the candidate quits the job before its completion and for losses/ damages, if any, caused property, etc.

(11) **Caution for Candidates:** Some unscrupulous elements may approach you with the assurance of procuring engagement for you in the factory through illegal gratification. You must not fall prey to such false assurance or exploitation and must not entertain or encourage such elements in any way. It is emphasized and reassured that the entire selection exercise will be done on merit in a transparent manner.

-sd-

(AMIT KUMAR MEENA)
Addl. GENERAL MANAGER/MM
FOR CHIEF GENERAL MANAGER

Ammunition and Explosive Group of Ordnance Factories under Munitions India Limited

S.N0.	Name of Factories	Abbreviation
1	Ammunition Factory Kirkee	AFK
2	Cordite Factory Aruvankadu	CFA
3	High Explosive Factory, Kirkee	HEF
4	High Energy Projectile Factory, Tiruchirapalli	HEPF
5	Ordnance Factory Itarsi	OFI
6	Ordnance Factory Khamaria	OFK
7	Ordnance Factory Nalanda	OFN
8	Ordnance Factory Dehu Road	OFDR
9	OrdnanceFactory Bhandara	OFBA
10	Ordnance Factory Chanda	OFCH
11	Ordnance Factory Varangaon	OFV
12	Ordnance Factory Bolangir	OFBOL

Abbreviations used in the advertisement/notification:

UR- Unreserved
SC- Scheduled Class
ST- Scheduled Tribes
OBC (NCL)- Other Backward Class
EWS- Economically Weaker Section
IDA- Industrial Dearness Allowance
OT- Overtime
LTC- Leave Travel Concession
O.F. DEHUROAD - Ordnance Factory Dehu Road

APPLICATION FOR ENGAGEMENT OF GRADUATE PROJECT ENGINEER AND DIPLOMA PROJECT ENGINEER ON TENURE BASIS

(To be forwarded by Post)

Paste recent passport size photo of the applicant (self attested in front) to be firmly pasted (not to be stapled)

To
The Chief General Manager,
Ordnance Factory Dehu Road,
Pune, Maharashtra -412101

(TO BE FILLED UP IN BLOCK LETTERS ONLY)

01.	Discipline Applied for			
02.	Name in Block Letters (as mentioned in 10th standard)			
03.	Gender			
04.	Father's / Husband's Name			
05.	Date of Birth	Day (DD)	Month (mm)	Year (yyyy)
06.	Age (as on last date of receipt of application)	Year	Months	Days
07.	Nationality			
08.	Category [UR /SC/ST/OBC-NCL/EWS]			
09.	Whether Person with Disability or Not, if yes please mention details	Yes/No		
10.	Complete postal Address & pin code for communication	State:	Pin:	
11.	Mobile/ Phone Number			
12.	E-mail ID			
13.	Two Prominent & visible identification mark	1)	2)	

14. Details of educational and other qualifications starting from X Standard/SSLC (including technical qualification):

Name of School/College	Name of Recognized University / Board of Examination	Examination Passed	Year of Passing	Maximum Marks	Marks Obtained	Percentages

***Note: If score obtained in CGPA format please provide percentage with relevant document**

Contd on pg 2/-

15. Details of Graduate/Diploma Apprenticeship from Ordnance Factories under MIL & other Factories:

Name of Trade	Name of Factory	Training period		Year of Passing	Certificate No. & Date of Issue
		From	To		

16. Details of present employment/previous experience, if any:-

Company Details	Designation	Period From	Period To	Nature of Duties

17. Check List of Enclosures:

Sl. No.	ENCLOSURES	YES / NO
1	Proof of Date of Birth	
2	Educational Qualification Certificates	
3	BE/B.Tech/Diploma certificate	
4	Experience Certificate	
5	Caste & Category Certificate: (SC/ST/OBC-NCL/EWS) – in prescribed proforma	
6	Declaration by OBC-(NCL)— Appendix - I	
7	Whether all above & documents / certificates are self-attested	
8	Two copies of photographs (one pasted on application form) and one extra photograph (Name and Date of Birth should be written on backside of photograph	

DECLARATION

I, Shri /Smt/ kum ____________________________________ have read the instructions carefully before sending this application. I hereby declare that all the statements made in this application are correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any discrepancy found in the information will lead to cancellation of my candidature / debarment at any time.

Date:
Place:

(Signature of the Candidate)

APPENDIX - 1

DECLARATION BY OBC-NCL CANDIDATES ONLY

(Similar endorsement should be given in the caste certificate from the competent authority)

I...Son/ Daughter of Shri...

Resident...................................of village/town/city..........................District...............

State...hereby declare that I belong to the...

community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as the orders contained in DOPT OM No.36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08-09-1993 and as amended.

It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08-09-1993 and as amended.

Date:

(Signature of the Candidate)

आयुध निर्माणीदेहूरोड
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
भारत सरकार का उद्यम
रक्षा मंत्रालय
पुणे, महाराष्ट्र – 412 101

Ordnance Factory Dehu Road
Unit of Munitions India Ltd.
Govt. of India Enterprises
Ministry of Defence
Pune, Maharashtra – 412 101

दूरभाष संख्या / Phone No. : 020-27167246,7546
ई-मेल / e-mail : ofdrestt@ord.gov.in

संख्या: 1914/02/आ.नि.दे.रो/कार्यकाल आधारीत/प्रोजेक्ट इंजीनियर/2026 दिनांक:02/09/2026

कार्यकाल के आधार पर स्नातक /डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर की नियुक्ति

आयुध निर्माणी, देहू रोड, पुणे महाराष्ट्र में विविध ट्रेडों में कार्यकाल के आधार पर स्नातक/डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्तियां भरने हेतु आवश्यक शैक्षिक अर्हता/मानदंड रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति शुरू में 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी जिसे निर्माणी की आवश्यकता और कार्मिक के प्रदर्शन के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है अर्थात् नियुक्ति की तारीख से (प्रारंभिक अवधि सहित) वार्षिक नवीकरण के आधार पर अधिकतम चार वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

नोट: ऑफलाइन मोड के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) पदों के नाम, मूल वेतनऔर रिक्तियों का विवरण निम्ननानुसार है :-

पद का नाम	विषय	मूल वेतन	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	स्तर
कार्यकाल आधारित ग्रैजुएट/डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर	केमिकल	प्रथम वर्ष रू. 36000/- द्वितीय वर्ष रू. 37080/- तृतीय वर्ष रू. 38192/- चतुर्थ वर्ष रू. 39338/-	02	04	01	01	01	सुपरवाइजरी लेवल
	मेकेनिकल		00	00	00	01	00	

***नोट:**(i) आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे की आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों में वृद्धि या कमी हो सकती है।

योग्यता क्रम सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करने हेतु प्राथमिकता का क्रम :

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	अप्रेंटिसशिप	टिप्पणी
01	केमिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई./बी.टेक) या डिप्लोमा	गोला बारूद और विस्फोटक के निर्माण/हैंडलिंग में अप्रेंटिसशिप।	• केमिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई./बी.टेक) को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और इस लिए उनकी मेरिट लिस्ट सबसे पहले तैयार की जाएगी। • दूसरी प्राथमिकता (मेरिटलिस्ट) डिप्लोमा केमिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग को दी जाएगी।
02	केमिस्ट्री को मुख्य विषयों में से एक के तौर पर लेकर बी.एस.सी. स्नातक।	गोला बारूद और विस्फोटक के निर्माण/हैंडलिंग में अप्रेंटिसशिप।	• तीसरी प्राथमिकता (मेरिटलिस्ट)।
03	केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई./बी.टेक) या डिप्लोमा	गोला बारूद और विस्फोटक के निर्माण/हैंडलिंग को छोड़कर केमिकल क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप।	• चौथी प्राथमिकता (मेरिटलिस्ट) - केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई./बी.टेक) केलिए। • पांचवीं प्राथमिकता (मेरिटलिस्ट) – केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए।

नोट: जिन मामलों में चयनित उम्मिदवारों के पास गोला बारूद और विस्फोटक के निर्माण/हैंडलिंग में अप्रेंटिसशिप नही है, उन्हे आयुध निर्माणी देहुरोड द्वारा प्रदान किए गए आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी जांच प्रशिक्षण से गुजरने के बाद ही कार्य पर तैनात किया जाएगा।

पृष्ठ 2 पर जारी....

सुपरवाइजरी लेवल		
क)	आवश्यक अर्हता	
	i)	क) केमिकल ट्रेड के लिए: केमिकल ट्रेड में बी.ई/बी.टेक अथवा डिप्लोमा अथवा रसायन विज्ञान को मुख्य विषय के रुप में लेकर बी.एस. सी। ख) मेकेनिकल ट्रेड के लिए: मेकिनिकल ट्रेड में बी.ई/बी.टेक अथवा डिप्लोमा।
	ii)	ऐसे पूर्व-स्नातक प्रशिक्षु जिन्होंने एम.आई.एल. के तहत आयुध निर्माणियों या सैन्य गोला-बारूद और विस्फोटक बनाने वाले निर्माणियों में केमिकल/मैकेनिकल ट्रेड में शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसारकम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
ख)		**नियुक्ति के लिए मापदंड:** जिन व्यक्तियों ने एम.आई.एल. के तहत आयुध निर्माणियों या गोला-बारूद और विस्फोटक बनाने वाली निर्माणियों में एक साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास आवश्यक कौशल है, केमिकल अथवा गोला-बारूद, विस्फोटक और खतरनाक रसायनों के निर्माण/हैंडलिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप।
	i)	कार्यकाल आधारित कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारंभ में **एक वर्ष** के लिए अनुबंध के आधार पर होगी जिसे निर्माणी की आवश्यकता और कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है अर्थात् नियुक्ति की तारीख से (प्रारंभिक अवधि सहित) वार्षिक नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम चार वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। जॉइनिंग की तारीख से चार साल पूरे होने पर कार्यकाल अपने-आप खत्म हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग सेनोटिस नहीं दी जाएगी। कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, दोनों में से कोई भी पक्ष एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले बेसिक पे + आई.डी.ए. घटकों का भुगतान करके नौकरी खत्म कर सकता है।
	ii)	उम्मीदवार को न तो स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने और न ही कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई प्रतिबद्धता होगी।
ग	**नियुक्ति प्रक्रिया:**	
	(i)	उम्मीदवारों का चयन केवल बी.ई./बी.टेक या डिप्लोमा या बी.एस.सी.स्नातक में केमिस्ट्री को मुख्य विषय के रूप में लेकर प्राप्त अंकों और व्यक्तिगत वार्तालाप/साक्षात्कार के आधार पर ही योग्यता क्रम में किया जाएगा।
	(ii)	आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए किसी विशिष्ट ट्रेड/विषय हेतु निर्धारित योग्यता परीक्षा अर्थात् बी.ई. /बी.टेक. या डिप्लोमा अथवा केमिस्ट्री मुख्य विषय के साथ बी.एस.सी. में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यक्तिगत वार्तालाप/साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए कट ऑफ प्रतिशत तय कर सकती है।
	(iii)	गुणता सूची स्नातक /डिप्लोमा/ बी.एस.सी तथा वैयक्तिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
	(iv)	बी.ई./बी.टेक या डिप्लोमा याबी.एस.सी. (केमिस्ट्री मुख्य विषय के साथ) और व्यक्तिगत वार्तालाप/साक्षात्कार में अंकों का वेटेज क्रमशः 85% और 15% होगा।
	(v)	बी.ई./बी.टेक या डिप्लोमा याबी.एस.सी. (केमिस्ट्री मुख्य विषय के साथ) और व्यक्तिगत साक्षात्कार/इंटरव्यू में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित पदों की संख्या (विषय/श्रेणीके अनुसार) तक सीमित होगी।
	(vi)	दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित दस्तावेज़/प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता, आयु, योग्यता, अनुभव आदि संबंधी विज्ञापित मानदंडों को पूरा न करने के कारण अभ्यर्थियोंके अस्वीकृत होने की स्थिति में, अगले अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम (विषय/श्रेणीवार) के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले अगले अभ्यर्थियों की संख्या अस्वीकृत अभ्यर्थियों की संख्या तक सीमित होगी।
	(vii)	उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर नहीं हो जाती।
	(viii)	उपरोक्त दस्तावेज़ सत्यापन चरण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा।

पृष्ठ 3 पर जारी....

(3) आयु सीमा :-सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अर्थात् रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन से 21वा दिन) के अनुसार गिना जाएगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) -नॉन क्रिमी लेअर को आयु सीमा में निम्नानुसार स्वीकार्य छूट दी जाएगी :-

क्रम सं.	श्रेणी	आयु में छूट
(i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष (केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के संबंध में)
(ii)	अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) - नॉन क्रिमी लेअर के लिए	03 वर्ष (केवल ओबीसी (नॉनक्रिमी लेअर) के लिए आरक्षित पद के संबंध में)

(4) आवेदन शुल्क :- शून्य

(5) आवेदन कैसे करें :-लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "**(कार्यकाल आधारित स्नातक / डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद के लिए आवेदन-आ.नि.दे.रो-2026)**" लिखा होना चाहिए।

आवेदन अन्य आवश्यक दस्तावेजों और 03 (तीन) अतिरिक्त फोटो (फोटो के पीछे नाम और जन्म तिथि लिखी होनी चाहिए) के साथ, डाक द्वारा **"मुख्य महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी देहू रोड, जिला: पुणे (महाराष्ट्र), पिन – 412101"** को भेजा जाना चाहिए।

(6) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:-

i. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन होगी।

ii. यदि अंतिम तिथि पर निर्माणी को अवकाश हो, तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा।

(7) उम्मीदवारों के लिए सामान्य शर्तें और अन्य जानकारी: -

i. शैक्षणिक योग्यता की स्व-सत्यापित प्रतियां,आयु प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र, संस्थानों से अनुभव प्रमाण पत्र आदि आवेदन के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

ii. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार को आवेदन पत्र के परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता भी प्रस्तुत करनी होगी।

iii. आवेदन की अंतिम तिथि तक वर्तमान नियमों के अनुसार वैध ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवश्यक है।

iv. झूठी/गलत/अधूरी जानकारी और/या संदिग्ध/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

v. एक ही व्यक्ति द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

vi. बस/ट्रेन टिकट और जाति/समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार सबसे छोटे यात्रा मार्ग के लिए द्वितीय श्रेणी का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए "बैंक विवरण फॉर्म" जमा करना अनिवार्य है।

vii. फोन/मैसेंजर के माध्यम से किसी भी प्रकार का पत्राचार/पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी ।किसी भी रूप में सिफारिश करवाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

viii. केवल आवेदन पत्र जमा करने से साक्षात्कार के लिए ''कॉल लेटर'' जारी होने की गारंटी नहीं है।

ix. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को अपने खर्च पर यात्रा करनी होगी और चिकित्सा परीक्षण के लिए एक दिन अतिरिक्त रुकना होगा।

पृष्ठ 4 पर जारी....

x. डाक में देरी या किसी अन्य कारण से भरे हुए आवेदन/कॉल लेटर आदि विलम्ब से मिलने/नहीं मिलने के लिए आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे जिम्मेदार नहीं होगी।

xi. केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए डाक/ई- मेल केमाध्यम सेयथा समय सूचित किया जाएगा।

xii. ई-मेल आईडी और फोन/मोबाइल नंबर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रखे जाने चाहिए।

xiii. चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह सेअनंतिम होगा।

xiv. परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को कॉल लेटर/प्रवेश पत्र जारी करने मात्र से यह न माना जाए कि आयुध निर्माणी देहू रोड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।

xv. आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाएगा।

xvi. इस विज्ञापन के विरुद्ध उक्त नियुक्ति के संबंध में कोई भी विवाद केवल पुणे में स्थित न्यायालयों के अधीन होगा।

xvii. सक्षम प्राधिकारी आकस्मिकता की स्थिति में आंशिक या पूर्ण रूप से चयन का कोई वैकल्पिक वैध तरीका अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखतेहैं।

xviii. भारत के नागरिक जो विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता पूरी कर रहे हैं, वह पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

xix. इस विज्ञापन की हिंदी तथा अग्रेजी भाषा की विवादास्पद स्थिती के मामले में, अग्रेजी भाषा के विज्ञापन को वैध माना जायेगा।

(8) नियुक्ति के लिए मानदंड :-

i. नियुक्ति एक से चार वर्ष की अवधि के लिए होगी जैसा कि ऊपर पैरा (1) में उल्लेख किया गया है। नियुक्ति कि तिथि से चार वर्ष कि अवधि पूरी होने पर बिना किसी अन्य पूर्व सूचना के कार्यकाल स्वत: समाप्त हो जाएगा। नियुक्ति के अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले मूल वेतन + आईडीए घटक का भुगतान करके रोजगार समाप्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी को स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल करने या कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी।

ii. ऐसे कार्मिकों को आम तौर पर डिज़ाइन, विनिर्माण/रखरखाव/गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन इंजीनियरिंग (उत्पादन शॉप: सैन्य गोला-बारूद और विस्फोटकों का उत्पादन जिसमें विस्फोटकों और खतरनाक रसायनों का विनिर्माण और हैंडलिंग शामिल है) प्रबंधन सेवाएं आदि जैसे मुख्य तकनीकी क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यों को करने के लिए लगाया जाएगा। हालांकी, यदि किसी अन्य क्षेत्र में आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसे अन्य किसी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो कर्मियों को ऐसे क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है।

(9) पारिश्रमिक :-

i. कार्यकाल आधारित कार्मिक को प्रतिदिन 8 घंटे काम के लिए मूल वेतन के 1/30 वें हिस्से की दर से महंगाई भत्ते के साथ भुगतानकिया जाएगा।

ii. प्रचलित आईडीए लागू होगा।

iii. शहरों के वर्गीकरण के अनुसार मकानकिराया भत्ता (कंपनी क्वार्टर उपलब्ध नहोने पर) प्रदान किया जाएगा।

नोट : कंपनी क्वार्टर उपलब्ध होने की स्थिति मेंक्वार्टरों के आबंटन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. निश्चित अवधि के लिए रोजगार पर तैनात व्यक्ति के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। खराब या उससे कम प्रदर्शन रेटिंग वाले व्यक्तियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए लिखित रूप में एक माह का समय दिया जाएगा। एक माह के बाद फिर से निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि दोबारा निष्पादन रेटिंग खराब या नीचे पाई जाती है, तो व्यक्ति की सेवाएं, 15 दिन की नोटिस देकर समाप्त की जाएंगी।

v. नियुक्त कार्मिक सरकारी निर्देशों के अनुसार ईपीएफ और कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के लिए पात्र होंगे।

vi. निर्धारित अवधि के आधार पर नियुक्त कार्मिक समय-समय पर संशोधित बोनस अधिनियम 1965 के अनुसारबोनस (यदि लागू हो) के लिए पात्र हैं।

(10) अन्य लाभ तथा नियम एवं शर्तें:-

i. नियुक्त कार्मिक प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी के हकदार होंगे। सेवा केप्रत्येक कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन की छुट्टी जमा की जाएगी। कार्मिक द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान 30 दिन तक छुट्टी जमा की जा सकती है जिसका एक वर्ष पूरा होने के बाद नकदीकरण किया जा सकता है। कार्यकाल के पृथक्करण/समापन से पहले सेवा के अंतिम माह केलिए, सेवा के अंतिम माह से संबंधित 2.5 दिन की छुट्टी उसमाह के 15 वें दिन जमा की जाएगी।

नोट:- कार्यकाल आधारित कर्मियों के संबंध में छुट्टी कानकदीकरण समय-समय पर अधिसूचित नियमित कर्मचारी के लिए लागू नियमोंएवं निबंधन और शर्तों के अनुसार होगा।

पृष्ठ 5 पर जारी....

ii. नियुक्त कार्मिक एक माह में 3 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकते हैं और चिकित्सा आधार को छोड़कर एक साथ 3 दिन की छुट्टीनहीं ले सकते हैं।

iii. ये कार्मिक किसी भी आयुध निर्माणी अस्पताल और औषधालय या अन्य जगहों से किसी भी चिकित्सा लाभ के हकदार नहीं होंगे। आपात स्थिति में आयुध निर्माणी अस्पतालों/औषधालयों से सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।

iv. वे कंपनी के मानदंडों के अनुसार संरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों, किट आदि के लिए पात्र होंगे।

v. महिला कर्मचारी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ की हकदार होंगी।

vi. सामान्य तौर पर, नियुक्ति की तारीख से **अधिकतम चार साल की अवधि** के लिए नियुक्ति होगी और नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि पूरी होने पर कार्यकाल बिना किसी अन्य सूचना के स्वत: समाप्त हो जाएगा।

vii. कार्यकाल आधारित नियुक्त कार्मिक को कंपनी के नियमित कर्मचारीके दर्जे का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

viii. कार्यकाल आधारित कार्मिक सौंपे गए कार्यो और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले कंपनी/निर्माणी के विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।

ix. ऐसे कर्मचारी लागू नियमों केअनुसार आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर आदि के अंतर्गत आएंगे और ऐसे सभी कर उन्हेंस्वयं चुकाने होंगे।

x. वे कंपनी क्वार्टर/आवास जहाँ कहीं भी उपलब्ध हों के लिए पात्र होंगे। क्वार्टरों के लिए लाइसेंस शुल्क नियमित कर्मचारियों के लिए लागू दरोंके अनुसार काटा जाएगा।

xi. **वे निम्नलिखित के लिए पात्र नहींहोंगे: -**

क) पदोन्नति
ख) समयोपरी कार्य भत्ता (ओटी)
ग) ऋण, अग्रिम और ब्याज सब्सिडी
घ) चिकित्सा सुविधाएं
च) आकस्मिक अग्रिम
छ) स्कूल शुल्क प्रति पूर्ति
ज) एलटीसी/एलटीए सुविधाएं
झ) अध्ययन अवकाश की स्वीकृति
ट) उच्च अध्ययन के लिए प्रायोजकता
ठ) नियमित कर्मचारी को मिलने वाले अन्य लाभ जिनका विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

xii. कार्यकाल आधारित कार्मिक इस योजना में बताए गए भत्तों के अलावा किसी अन्य भत्ते या लाभ के हकदार नहीं होंगे।

xiii. कार्मिक के प्रदर्शन का मूल्यांकन अर्ध वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

xiv. नियुक्ति पूर्ण का लिक आधार पर होगी। अधिकृत छुट्टी/कंपनी अवकाश के अलावा ड्यूटी से अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप समेकित परिलब्धियों में आनुपातिक कटौती होगी।

xv. नौकरी छोड़ने के लिए उम्मीदवार को एक महीने पहले नोटिस देना होगा, अन्यथा एक महीने का वेतन काट लिया जाएगा। नियुक्ति के प्रस्ताव में उपयुक्त जोखिम खंड और एनडीए (नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) को विस्तार से जोड़ा जाएगा, ताकि उम्मीदवार द्वारा नौकरी की अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ने से संपत्ति आदि को होने वाले नुकसान/क्षति यदि कोई हो के लिए कंपनी के हितों की रक्षा की जा सके।

(11) उम्मीदवारों के लिए सावधानी:- कुछ अनैतिक तत्व अवैध परितुष्टि के माध्यम से निर्माणी/कंपनी में आपको नियुक्ति दिलाने का आश्वासन देकर आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इस तरह के झूठे आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में ऐसे तत्वों की ओर ध्यान या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है और पुन: आश्वस्त किया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर की जाएगी।

हस्ताक्षरित
(अमितकुमार मीणा)
अपर महाप्रबंधक/एम एम
कृते मुख्य महाप्रबंधक

म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तहत गोला बारूद और विस्फोटक समूह की आयुध निर्माणियां

क्र. सं.	निर्माणी का नाम	संक्षिप्त रूप
1	गोला बारूदनिर्माणी खड़की	ए एफ के
2	कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु	सी एफ ए
3	अति विस्फोटक निर्माणी, खडकी	एच ई एफ
4	हाई एनर्जी प्रॉजेक्टाइल फ़ैक्टरी, तिरुचिरापल्ली	एच ई पी एफ
5	आयुध निर्माणी इटारसी	ओ एफ आई
6	आयुध निर्माणीखमरिया	ओ एफ के
7	आयुध निर्माणी नालंदा	ओ एफ एन
8	आयुध निर्माणी देहू रोड	ओ एफ डी आर
9	आयुध निर्माणी भंडारा	ओ एफ बी ए
10	आयुध निर्माणी चांदा	ओ एफ सी एच
11	आयुध निर्माणी वरणगांव	ओ एफ वी
12	आयुध निर्माणीबोलंगीर	ओ एफ बीओएल

विज्ञापन/अधिसूचना में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप :

यूआर- अनारक्षित

एस. सी- अनुसूचित जाति

एस. टी- अनुसुचित जनजाति

ओबीसी (एन. सी. एल)-अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्लूएस-आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग

आईडीए –औद्योगिक महंगाई भत्ता

ओटी-ओवरटाइम

एलटीसी-छुट्टी यात्रा रियायत

ओ. एफ. देहू रोड- आयुध निर्माणी देहू रोड

स्नातक / डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

(पोस्ट द्वारा भेजा जाना है)

आवेदक के नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के लिए जगह (स्वयं साक्ष्यांकित) अच्छी तरह से चिपकाया जाए ।(स्टेपल न किया जाए)

सेवा में,
मुख्य महाप्रबंधक,
आयुध निर्माणी देहू रोड,
पुणे, महाराष्ट्र - 412101

(केवल सुस्पष्ट(ब्लॉक) अक्षरों में भरा जाना है)

<table>
<tr><td>1</td><td>आवेदित शाखा</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>सुस्पष्ट (ब्लॉक) अक्षरों में नाम
(जैसा कि 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>लिंग</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>पिता/पति का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">जन्म तिथि</td><td>दिवस</td><td>माह</td><td>वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">आयु (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को)</td><td>वर्ष</td><td>माह</td><td>दिवस</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>राष्ट्रीयता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8</td><td>वर्ग(अनारक्षित/एससी/एसटी/ओबीसी –एनसीएल/ईडब्लूएस)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9</td><td>क्या आप विकलांग व्यक्ति हैं या नहीं, यदि हाँ तो कृपया विवरण दें।</td><td colspan="3">हाँ/नहीं</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पत्राचार के लिए पूर्ण पता और पिन कोड</td><td colspan="3">राज्य: पिन:</td></tr>
<tr><td>11</td><td>मोबाइल/फोन नंबर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>12</td><td>ई-मेल आई.डी.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>13</td><td>दो प्रमुख और स्पष्ट दिखाई देने वाले पहचान चिह्न</td><td colspan="3">i)
ii)</td></tr>
</table>

14. दसवीं/एस.एस.सी. (तकनीकी अर्हता के साथ) से शुरू होने वाली शैक्षिक योग्यता का विवरण:

स्कूल/कॉलेजका नाम	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / परीक्षा बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

***नोट: यदि सी.जी. पी. ए प्रणाली के अनुसार अंक प्राप्त हुए हैं तो कृपया संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रतिशत प्रस्तुत करें।**

पृष्ठ 2 पर जारी...

15.एम.आई.एल के अंतर्गत आने वाली आयुध निर्माणियों और अन्य निर्माणियोंसे स्नातक/डिप्लोमा अप्रेन्टिसशिप का विवरण:

ट्रेड का नाम	निर्माणी का नाम	प्रशिक्षण अवधि		उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाणपत्र संख्या एवं जारी करने की तिथि
		से	तक		

16. वर्तमान रोजगार/पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो:-

कंपनी का विवरण	पदनाम	अवधि से	अवधि तक	ड्यूटी का स्वरूप

17. अनुलग्नों की जाँच सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक	हाँ /नहीं
1	जन्म तिथि का प्रमाण	
2	शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र	
3	बी.ई./बी.टेक/ डिप्लोमा प्रमाणपत्र	
4	अनुभव प्रमाणपत्र	
5	निर्धारित प्रपत्र में जाति और श्रेणी प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाती/ओबीसी – एनसीएल/ईडब्लूएस)	
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (एन.सी.एल.) के अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा पत्र – परिशिष्ट – I	
7	क्या उपरोक्त सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र स्व-सत्यापित हैं।	
8	फोटो की दो प्रतियां (एक आवेदन पत्र पर चिपकाया गया) और एक अतिरिक्त फोटो (फोटो के पीछे नाम और जन्म तिथि लिखी जाए।)	

घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________________ ने इस आवेदन को भेजने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं जानता/जानती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी में पाई गई कोई भी विसंगति के कारण किसी भी समय मेरी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी/ मुझे निकाला जाएगा।

दिनांक:
स्थान :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट – I

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा पत्र

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र में भी इसी प्रकार का समर्थन दिया जाना चाहिए।)

मैं..श्री.. का पुत्र/की पुत्री हूँ, जोगाँव/कस्बा/शहर ....जिला .... राज्य.................................. का /की निवासी हूँ। मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं, ... समुदाय से हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के रूप से मान्यता दी गयी है, जैसा कि डीओपीटीदिनांक 08-09-1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Esst (SCT) में निहित आदेशों और संशोधित अधिसूचना के अनुसार है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08-09-1993 और यथा संशोधित की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

दिनांक:
स्थान :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)